सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 पौष, 1941 (श०)

संख्या- 26 राँची, शुक्रवार, 10 जनवरी, 2020 (ई०)

जल संसाधन विभाग

संकल्प

23 अक्टूबर, 2019

पत्रांक:3/पी.एम.सी./कार्य/271/2019--

विषय :- लघु सिंचाई प्रक्षेत्र मे जल उपयोगकर्ता संघ के गठन एवं संचालन की मार्गदर्शिका ।

1.0 प्राक्कथन

1.1 झारखण्ड का 76% क्षेत्र ग्रामीण हैं,जहाँ के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि है,जो राज्य की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है।

1.2 झारखण्ड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र 79.71 लाख हे० में से 38.00 लाख हे० पर खेती की जा सकती है,जिसके विरुद्ध संप्रति मात्र 28.36 लाख हे० पर खेती की जा रही है। स्पष्ट है कि 9.64 लाख हे० भूमि खेती किए जाने योग्य होने के बावजूद कतिपय कारणवश कृषि कार्यों के प्रयोग मे नहीं लाई जा रही है।

1.3 राज्य की 28.36 लाख हे० भूमि पर खरीफ की फसल ली जाती है, जिसके विरुद्ध मात्र 7.37 लाख हे० पर रब्बी की फसल ली जाती है। इस प्रकार राज्य की क्रापिंग ईंटें सिटी मात्र 126 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 136 प्रतिशत है। इस प्रकार राज्य के कृषकों के द्वारा 74 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि का मात्र खरीफ फसल के लिए इस्तेमाल किए जाने के फलस्वरूप राज्य की 20.99 लाख हे0 भूमि रब्बी के दौरान परतीरह जाती है, जिसे धान परती भूमि की संज्ञा दी गई है।

1.4 राज्य के मात्र 12 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर सुनिचिश्चित सिंचाई सुविधाएं (assured irrigation facilities) उपलब्ध है, इस प्रकार लगभग 88 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर वर्षा आधारित खेती की जाती है, जिसके फलस्वरूप कृषि की सफलता पर अनिश्चितता मंडराती रहती हैं।

1.5 उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि राज्य की एक फ़सली भूमि पर बहू -फसलें उपजायी (Multiple cropping) जाएँ तथा ऐसी कृषि योग्य भूमि, जिनका वर्तमान में कृषि कार्यो हेतु इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, को कृषि योग्य बनाते हुए कृषि कार्य कराये जाएँ ।

1.6 उल्लेखनीय है कि झारखंड राज्य में कई बड़ी नदियों के अलावे छोटे-छोटे नदी-नाले राज्य के हर क्षेत्र मे अवस्थित हैं, जिनमें सालो भर जल उपलबद्ध रहता है। इस जल का संचयन एव इस्तेमाल वैज्ञानिक पद्धतियों से नहीं किया जाता है, जो कदापि उचित नहीं है तथा उपलब्ध जल - संसाधनो को नजरअंदाज करने के समतुल्य है। प्रदेश मे प्रचुर प्राकृतिक संसाधन है तथा 1400-1500 मि० मी० का औसत वार्षिक वर्षापात है, जिसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर कृषि कार्यो के अनिश्चितता पर काफी हद तक तक नियंत्रण पाया जा सकता है।

1.7 उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यदि राज्य मे जल संचयन एवं इसके सुनिश्चित उपयोग हेतु पहल की जाए तो सुखद परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसके फलस्वरूप एक फसल भूमि पर एक से अधिक फसल तथा संप्रति बंजर भूमि का भी कृषि कार्यो मैं इस्तेमाल किया जाना संभव हो सकेगा।

1.8 पठारी क्षेत्र होने के कारण एवं वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं में वन भूमि, भू-अर्जन एवं भू-हस्तांतरण की समस्या को देखते हुए राज्य में लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण ज्यादा उपयुक्त एवं कारगर है। इन योजनाओं को अपेक्षाकृत कम समय मे (एक से दो साल) पूरा कर सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं।

1.9 परिकल्पना की सफलता के लिए यह परम आवश्यक है कि स्थानीय कृषकों की जल संचयन योजनाओं के सूत्रण, निर्माण, उपयोग एवं रख-रखाव मे शत-प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित की जाए, जिस क्रम मे लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण जल उपयोगकर्त्ता संघ का गठन कर उनकी सहमति के उपरांत किया जा सकता है। विभाग के द्वारा सहभागिता सिंचाई प्रबंधन नियमवाली, 2014 को अधिसूचित की गई है, जो वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं हेतु भी प्रासंगिक है।

1.10 लघु सिंचाई प्रक्षेत्र की योजनाओ का कमांड एरिया वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं की तुलना मे काफी कम होताहै एवं अपेक्षाकृत काफी कम समय में पूरी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति मे सहभागिता सिंचाई प्रबंधन नियमावली, 2014 की कंडिका 5 (I) के आलोक मे योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों को जल उपयोगकर्त्ता संघ के रूप मे विधिवत गठित कर पारस्परिक सहभागिता (mutual cooperation) के आधार पर योजना को संचालित एवं संधारित करने पर लघु सिंचाई योजनाओं को लंबे समय तक उपयोगी बनाया जा सकता है।

2.0 लघु सिंचाई प्रक्षेत्रांतर्गत चेक डैम एवं उद्वह सिंचाई योजना - अवधारणा :

2.1 राज्य के विभिन्न क्षेत्रों मे अवस्थित छोटे-छोटे नदी नालों पर यदि कम लागत के छोटे-छोटे पक्का चेकडैम, लूज बोल्डर चेकडैम, गार्डवाल, तालाब, आदि का निर्माण, पम्प हाउस एवं उद्वह सिंचाई हेतु जल वितरण प्रणाली का जन सहभागिता के आधार पर चयन, निर्माण, उपयोग एवं रख-रखाव सुनिश्चित किया जाए तो ऐसे प्रत्येक इकाई के द्वारा लगभग 25-30 एकड़ भूमि पर सिंचाई व्यवस्था की जा सकती है।

2.2 उपर्युक्त क्रम मे यदि सिंचाई की आधुनिक पद्धति यथा ड्रिप / स्प्रिंकलर प्रणाली को अपनाया जाए तो संचयित जल के द्वारा सिंचित क्षेत्र न्यूनतम 50 एकड़ को विस्तारित कर क्षेत्र को पूरे साल भर सिंचित किया जा सकता है।

3.0 जल उपयोगकर्त्ता संघ :

3.1 किसी भी योजना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि ऐसी योजना स्थानीय अपेक्षाओ, आकांक्षाओं, संसाधनों एवं सहभागिता के आधार पर सूत्रित, कार्यान्वित, संचालित एवं संधारित की जाए,जिसके फलस्वरूप स्थानीय निवासियों की ऐसी योजनाओं के साथ न केवल अपनापन की भावना सुदृढ़ होगी, बल्कि ऐसी योजनाएँ चूंकि स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप कार्यान्वित की गई है, इसलिए इनकी सफलता की संभावनाएं भी अधिक होगी तथा ऐसी योजनाए लंबे समय तक उपयोगी रह सकेंगी ।

3.2 उपर्युक्त अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए जल संसाधन विभाग के माध्यम से ऐसी छोटी - छोटी योजनाओं को विधिवत निर्मित कर जल उपयोगकर्त्ता संघ के द्वारा उनका प्रबंधन एवं संचालन कराये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमे कम से कम 12 लाभान्वित कृषकों का जल उपयोगकर्त्ता संघ के रूप मे गठित किया जाए ताकि कालक्रम मे आवश्यकतानुसार इसे सहकारिता का स्वरूप विधिवत प्रदान किया जा सके।

3.3 जल संसाधन विभाग के द्वारा निर्मित लघु सिंचाई संरचनाओं को संबन्धित जल उपयोगकर्त्ता संघ को हस्तांतरित करने के क्रम मे पारस्परिक एकरारनामा (mutual agreement) हस्तांतरित किया जाएगा, जिसमे प्रसंगाधीन लघु सिंचाई संरचना के रख-रखाव, संचालन - प्रबंधन, इत्यादि संबन्धित प्रावधान रहेंगे। (परिशिष्ट-I)

3.4 एक बार किसी लघु सिंचाई संरचना के जल उपयोगकर्त्ता संघ के पक्ष मे हस्तांतरण के उपरांत ऐसी लघु सिंचाई संरचना के रख-रखाव, संचालन-प्रबंधन का पूर्ण दायित्व जल उपयोगकर्त्ता संघ पर रहेगा।

3.5 कालक्रम मे प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के उपरांत विशेष परिस्थिति अथवा आवश्यकता होने पर ऐसी लघु सिंचाई संरचनाकी मरम्मति हेतु जल संसाधन विभाग के द्वारा संबन्धित जल उपयोगकर्त्ता संघ को आवश्यक राशि यथा निर्धारित शर्तों पर उपलब्ध करायी जा सकेगी।

3.6 जल उपयोगकर्त्ता संघ के पक्ष मे चयनित अध्यक्ष एवं सचिव -सह-कोषाध्यक्ष के पदनाम से निकटतम स्थानीय बैंक मे संयुक्त बचत खाता खोला जायगा,जिसमें सभी सदस्यों का अंशदान एवं सृजित सिंचाई सुविधा का इस्तेमाल करने वाले समस्त लाभान्वित कृषकों से प्राप्त आय, यथा निर्धारित सिंचाई शुल्क, अंशदान, इत्यादि जमा किया जाएगा।

4.0 जल उपयोगकर्त्ता संघ का गठन एवं शर्तें :-

4.1 लघु सिंचाई प्रक्षेत्र के अंतर्गत गठित जल उपयोगकर्त्ता संघ का कार्य क्षेत्र संबन्धित निर्मित लघु सिंचाई योजना के लिए होगा।

4.2 जल उपयोगकर्त्ता संघ का गठन योजना से लाभान्वित होने वाले कृषकों द्वारा ही किया जाएगा।

4.3 सभी किसान बैठक करेंगे एवं सामूहिक रूप से जल उपयोगकर्त्ता संघ के सामान्य निकाय का गठन करेंगे। बैठक में सम्मिलित होने के लिए महिला सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

4.4 जल उपयोगकर्त्ता संघ के गठन हेतु किसानों को जागरूक और गतिशील करने तथा पहली बैठक सम्पन्न करने का दायित्व संबन्धित कनीय अभियंता का होगा तथा यथासंभव कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चयन उनकी उपस्थिति में होगा।

4.5 जल उपयोगकर्त्ता संघ के लाभुकसदस्य कृषकों कि आम सभा के द्वारा लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से दो प्रगतिशील, साक्षर एवं सक्रिय कृषक सदस्यों को अध्यक्ष एवं सचिव -सह- कोषाध्यक्ष के रूप मे चयनित करते हुए पाँच सदस्यों को कार्यकारणी समिति हेतु चयनित करेगा। कार्यकारणी समिति के सदस्यों की संख्या एवं पदनाम निम्नवत होंगे :-

4.5.1 अध्यक्ष - एक

4.5.2 सचिव - सह -कोषाध्यक्ष- एक

4.5.3 सदस्य (कम से कम दो महिला) - तीन

4.5.4 संबन्धित कनीय अभियंता -पदेन सदस्य

4.6 कार्यकारणी समिति की कार्यावधि समान्यतः तीन (3) वर्षो की होगी।

4.7 यदि मृत्यु अथवा त्यागपत्र अथवा किसी अन्य कारण से रिक्ति उत्पन्न होती है तो इस प्रकार की रिक्ति को नामांकन द्वारा भरा जायगा।

4.8 योजना से संबन्धित कनीय अभियंता पदेन सदस्य होंगे, जिनका दायित्व जल उपयोगकर्त्ता संघ को सदैव सही मार्गदर्शन देना होगा, परंतु कार्यकारणी की बैठक में उन्हे वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

4.9 जल उपयोगकर्त्ता संघ के कृषकों के अंशदान की राशि (न्यूनतम 101/- रुपये) एवं जल उपयोग शुल्क से लघु सिंचाई योजना (चेकडैम / मध्यम सिंचाई योजना / उद्वह सिंचाई योजना आदि) का रख-रखाव, संचालन,इत्यादि कार्य सुनिश्चित कराये जायेंगे।

4.10 प्रत्येक जल उपयोगकर्त्ता संघ का अपना एक नाम एवं मुहर होगी, जिसका उपयोग सचिव द्वारा किया जायगा ।

4.11 जल उपयोगकर्त्ता संघ द्वारा निम्नलिखित लेखा पंजी एवं कागजात संधारित किए जायंगे(परिशिष्ट-II)

4.11.1 सामान्य पंजी (जल निकाय का विवरण, जल उपयोगकर्त्ता संघ का विवरण,कार्यकारणी बैठक विवरणी, आम बैठक विवरणी, निरीक्षण विवरणी);

4.11.2 सिंचाई पंजी (सिंचाई विवरणी, पंप संचालन विवरणी, उपकरण मरम्मति विवरणी);

4.11.3 लेखा पंजी (आय व्ययका विवरण,सिंचाईशुल्कसंबंधी विवरण);

4.11.4 विपत्र पंजी (रोकड़ बही, विपत्र पंजी, आय व्यय का समेकित विवरण);

4.12 लेखा पंजी का निःशुल्क अवलोकन जल उपयोगकर्त्ता संघ के सदस्यों द्वारा किया जा सकेगा एवं उसे उपलब्ध कराने का दायित्व सचिव -सह-कोषाध्यक्ष का होगा।

4.13 राज्य सरकार की अधिसूचना के माध्यम से आवश्यकतानुसार जल उपयोगकर्त्ता संघ की मार्गदर्शिका मे संशोधन किया जा सकेगा।

5.0 जल उपयोगकर्त्ता संघ के पदाधिकारियों के उत्तरदायित्व एवं शक्तियाँ :

5.1 जल उपयोगकर्त्ता संघ के अध्यक्षके उत्तरदायित्व एवं शक्तियाँ :

5.1.1 अध्यक्ष जल उपयोगकर्त्ता संघ के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होंगे।

5.1.2 निकाय की सामान्यबैठकों,कार्यकारणी समिति की बैठकोंएवं अन्य बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

5.1.3 बैठकों मे किसी विषय मे पक्ष एवं विपक्ष मे सदस्यों के मतों के समसंख्यक होने पर निर्णायक मत देंगे।

5.1.4 वह बैठक की कार्यवाहियाँ हस्ताक्षरित करेंगे।

5.2 जल उपयोगकर्त्ता संघ के सचिव -सह-कोषाध्यक्ष के उत्तरदायित्व एवं शक्तियाँ :

5.2.1 बैठक बुलाना,कार्यवाही एवं कृतकार्य प्रतिवेदन तैयार करना।

5.2.2 जल उपयोगकर्त्ता संघ के कृत्यों का कार्यान्वयन,अनुश्रवण, अनुपालन एवं प्रगति प्रतिवेदन को तैयार करना।

5.2.3 कंडिका 4.11 मे वर्णित सभी अभिलेखों का संधारण।

5.2.4 सदस्योंएवं सभी संबन्धित प्राधिकारियों से पत्राचार आदि करना ।

5.2.5 जल उपयोग शुल्क प्राप्त करना एवं सभी संबन्धित पक्षों को भुगतान करना।

5.2.6 रोकड़ पंजी, लेजर, पुस्तिका, विपत्रों, अभिश्रवों एवं अन्य वित्तीय अभिलेखों का संधारण करना।

6.0 जल उपयोगकर्त्ता संघ के कार्य -

जल उपयोगकर्ता संघ के निम्नांकित कर्तव्य एवं दायित्व होंगे:-

6.1 लघु सिंचाई योजना का रख-रखाव एवं देख-रेख।

6.2 जल उपयोगकर्ता संघ के सदस्यों के अंशदान की राशि, जल उपयोग की दर राशि (प्रति एकड़) एवं अन्य शुल्क, आदि की दर का निर्धारण करना।

6.3 कम से कम जल मे सफलता पूर्वक उगाई जाने वाली फसलों को चिन्हित करना एवं आच्छादित करना।

6.4 फसलों के आच्छादनहेतु रब्बी, खरीफ एवं गर्मी के लिए फसलों का चयन कर वार्षिक कलेंडरतैयार करना।

6.5 सिंचाई हेतु रकवा के अनुसार अथवा डीजल, बिजली की खपत एवं पंप, आदि के रख-रखाव पर होने वाले व्यय के आलोक मे समयानुसार लाभुक समिति की बैठक आयोजित कर शुल्क का निर्धारण करना।

6.6 लाभुक सदस्यों की कृषि एवं अन्य उपयोगिता वाले विषयों के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने एवं स्थानीय प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

6.7 सौंपीगयी सिंचाई परिसंपत्ति के रख-रखाव हेतु खोले गए बैंक खाता मे संधारित राशि से कार्यकारणी समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक मे कार्य कराया जाना।

6.8 जल उपयोगकर्ता संघ के सचिव -सह- कोषाध्यक्ष परिसंपति की देख-रेख एवं रख रखाव के पूर्ण रूप से प्रभारी होंगे। पंप सेट के मरम्मति, आदि आवश्यक कार्य अध्यक्ष की सहमति के उपरांत ही कराए जाएंगे ।

6.9 योजनांतर्गत हस्तगत की गयी आधारभूत संरचनाओं का स्थायी रख-रखाव,आवश्यकतानुसार मरम्मति, आदि कार्य कराना।

6.10 आधारभूत संरचना, पंप हाउस, सिंचाई पंप, सिंचाई पाईप, आदि की सुरक्षा, रख-रखाव एवं देखभाल करना, सिलटेशन, आदि होने पर श्रम दान से सफाई कर जल संग्रहण हेतु कार्य कराना।

6.11 जल उपयोगकर्त्ता संघ के सदस्यों की मासिक बैठक अथवा विशेष बैठक कर फसल लगाने हेतु जल की आवश्यकता की जल की उपलब्धता के आलोक मे समीक्षा करना एवं आकलन करना। तदनुरूप जल उपयोगकर्त्ता संघ के सदस्यों के बीच जल का बंटवारा करना।

6.12 किसी भी तरह के विवाद के मामले को जल उपयोगकर्त्ता संघ स्तर पर ही सुलझाना। यदि विवाद की प्रकृति जटिल है तो संबन्धित कार्यपालक अभियंता के स्तर पर ऐसे विवाद का विधिवत निपटारा किया जाएगा।

6.13 प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जल उपयोगकर्त्ता संघ का यह अनिवार्य दायित्व होगा की बचत खाते मे कुल जमा राशि एवं प्रशासनिक गतिविधियों के संबंध मे जल संसाधन विभाग के प्रभारी कनीय अभियंता (पदेन सदस्य) को विहित प्रपत्रों मे वार्षिक कार्य प्रतिवेदन समर्पित करे (परिशिष्ट-III)।

7.0 जल उपयोगकर्त्ता संघ के कार्यों का अनुश्रवण-

7.1 प्रभारी कनीय अभियंता (पदेन सदस्य) का यह दायित्व होगा की बचत खाते मे संचित राशि एवं उसके उपभोग से संबन्धित ब्योरा संधारित करते हुए अपने वरीय पदाधिकारियों को विहित प्रपत्रों मे वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (annual performance report) समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे (परिशिष्ट-IV) ।

7.2 जल संसाधन विभाग के द्वारा राज्य के समस्त जल उपयोगकर्त्ता संघ के सफल संचालन हेतु समय-समय पर आवश्यक हस्तक्षेप (intervention) एवं कार्रवाई की जाएगी, जिनका अनुपालन एवं समस्त सहयोग प्रदान करने का दायित्व संबन्धित जल उपयोगकर्त्ता संघ पर होगा।

8.0 जल उपयोगकर्त्ता संघो को उत्प्रेरित करने हेतु प्रोत्साहन -

8.1 प्रत्येक जिले में कार्यरत जल उपयोगकर्त्ता संघो कि वार्षिक उपलब्धियों को जल संसाधन विभाग द्वारा यथा निर्धारित मापदण्डों (परिशिष्ट-V) के आधार पर आकलित करते हुए निम्नलिखित रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा:

8.1.1 प्रथम - 5,00,000/-रुपये + प्रशस्ति पत्र + शाल

8.1.2 द्वितीय- 3,00,000/-रुपये + प्रशस्ति पत्र

8.1.3 तृतीय - 1,00,000/-रुपये + प्रशस्ति पत्र

8.1.4 सांत्वनात्मक (2) - 50,000/- रुपये + प्रशस्ति पत्र

8.2 जल संसाधन विभाग के द्वारा तैयार किए गए मापदण्डों के आधार पर जल उपयोगकर्त्ता संघों की वार्षिक उपलब्धियों का आकलन करने के उपरांत प्रत्येक जिले के सर्वश्रेष्ठ पाँच जल उपयोगकर्त्ता संघों को चयनित कर राज्य के सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्त्ता संघों को निम्नांकित रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा :

8.2.1 प्रथम - 20,00,000/- रुपये + प्रशस्ति पत्र + शाल

8.2.2 द्वितीय - 10,00,000/- रुपये + प्रशस्ति पत्र

8.2.3 तृतीय - 5,00,000/- रुपये + प्रशस्ति पत्र

8.2.4 सांत्वनात्मक (10) - 2,50,000/- रुपये + प्रशस्ति पत्र

8.3 प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी राशि का सदुपयोग प्रसंगाधीन जल उपयोगकर्त्ता संघ के कमांड क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ एवं बेहतर बनाने हेतु मात्र किया जा सकेगा।

यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 26 -- 50